यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर के माह 05.2013 से 10.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.11.2018 से 03.12.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे आशुलिपि हिन्दी, स्विंग टेक्नोलॉजी, प्लंबर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे श्रीनगर क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर- स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	56.00	54.91	2.87	2.20	-	1.76
2	2014-15	0.00	0.00	61.82	59.45	6.88	6.88	-	2.37
3	2015-16	0.00	0.00	68.04	55.07	7.71	7.27	-	13.41
4	2016-17	0.00	0.00	53.52	46.81	8.54	7.98	-	7.27
5	2017-18	0.00	0.00	59.81	59.81	10.43	8.18	-	2.25
6	2018-19	0.00	0.00	74.63	42.46	8.61	6.67	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). सयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर

f). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05/2013 से 10/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2015 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- अलाभकारी व्यय रु. 11.64 लाख।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रक्षिक्षण संस्थान लोअर बाज़ार, श्रीनगर के अंतर्गत संचालित योजना पी पी मोड की अभिलेखो की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि वर्ष 2008-09 में संस्थान को उच्चीकरण हेतु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में रु 2.50 करोड़ अवमुक्त की गयी । आई एम सी के दिशानिर्देश के अनुसार योजना के संचालन के लिए एक स्वतंत्र समिति इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) जिसके अधयक्ष प्राइवेट पार्टनर तथा सचिव आई टी आई के निगरानी में उच्चीकरण का कार्य निस्पादित किया जाना था तथा योजना की राशि व्यय करने के पूर्व आई एम सी Institute Development Plan (IDP) बनाकर स्टेट स्टीरिंग कमेटी से स्वीकृति प्राप्त करनी थी, परंतु नियम के प्रतिकूल समिति द्वारा व्यवसाय तथा विविध मदों पर क्रय के लिए कुल रु 11.64 लाख वर्ष 2010 में व्यय किया जाना पाया गया, जो क्रय अवधि से लेखापरीक्षा तिथि तक उच्चीकरण के प्रयोजन की पूर्ति न होने के कारण किया गया व्यय लाभप्रद नहीं पाया गया। उक्त व्यय में रु. 39224.00 Additional Manpower पर व्यय कर दिया गया जिसे नियम अनुकूल उच्चीकरण के पश्चात संविदा पर नियुक्त अनुदेशक पर व्यय किए जाने का प्रावधान था। आगे अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्राइवेट पार्टनर की आरंभ से आई एम सी मे सक्रिय सहयोग न देने के कारण समिति का संचालन अवरुद्ध था तथा लेखापरीक्षा तिथि तक आईडीपी कार्ययोजना की स्वीकृति समिति द्वारा अपनाई जाने वाली जरूरी प्रक्रिया के अभाव में केंद्र सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षित थी तथा शासन से नए प्राइवेट पार्टनर के चुनाव के लिए इकाई द्वारा पत्राचार गतिमान था । इसी क्रम में आगे पाया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित पीपीपी मोड के अंतर्गत होने के कारण भवन एवं भूमि आईटीआई के लिए नितांत जरूरी थी, परंतु इन प्रकरण को बिना गौर किए संस्थान की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरण करने की कार्यवाही गतिमान थी ।

इस ओर इंगत किए जाने पर इकाई द्वारा उक्त तथ्यो को क्रमवार स्पष्ट किया गया (1) प्राइवेट पार्टनर के चुनाव के लिए संस्थान द्वारा पत्राचार किया गया है, उच्च अधिकारियों से उत्तर प्राप्त होना प्रतीक्षित है (2) आईडीपी स्वीकृत हेतु वर्ष 2008-09 में समिति द्वारा कार्यवाही आरंभ की गयी थी परंतु 2010 में औद्योगिक पार्टनर शासन द्वारा पृथक कर दिये जाने के कारण स्वीकृति लंबित है (3) भूमि अन्य विभाग को स्थानानतरण संबन्धित प्रकरण पर विभागाध्यक्ष की जानकारी में लायी गयी परंतु उत्तर प्राप्त होना प्रतीक्षित है ।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, बिना आईडीपी कार्ययोजना स्वीकृत किए रु 11.64 लाख व्यय कर 08 वर्ष बीत जाने के बाद भी उच्चीकरण का प्रयोजन हासिल न कर पाना तथा योजना के विपरीत Additional Manpower पर व्यय किया गया । उच्चीकरण की संभावना इस कारण से अवरूद पायी गयी कि संस्थान की भूमि एवं भवन अन्य विभाग को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान थी ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एम॰ पी॰ बहुगुणा	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ लोअर बाज़ार, श्रीनगर	लेखापरीक्षा अवधि से 29.02.16 तक
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ लोअर बाज़ार, श्रीनगर	21.03.16 से 31.07.2017 तक
श्री जी॰ एम॰ नेगी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ लोअर बाज़ार, श्रीनगर	31.07.2017 से 19.09.17 तक
श्रीमति इतिका त्यागी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ लोअर बाज़ार, श्रीनगर	19.09.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोअर बाज़ार, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.